



संख्या: आईसीडब्ल्यूए/आईटी/885/आईआईएल/1//2016

दिनांक 09-04-2021

**सप्रू हाउस में 100 एमबीपीएस (1:1) इंटरनेट लीज्ड लाइन कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए  
निविदा**

विश्व मामलों की भारतीय परिषद (आईसीडब्ल्यूए) विदेश मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है जो दुनिया भर में संस्थागत भागीदारों के साथ वर्तमान और प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अनुसंधान और सम्मेलनों के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। बाराखंभा रोड के सप्रू हाउस में 100 एमबीपीएस इंटरनेट लीज्ड लाइन कनेक्टिविटी की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग के लिए निविदा के साथ अनुबंध-1 के रूप में संलग्न अनुसूची में दिए गए विनिर्देश के अनुसार दो बोली प्रारूप में सीलबंद निविदाएं आमंत्रित करता है।

एजेंसी शुरू में दो वर्ष की अवधि के लिए सप्रू हाउस में 100 एमबीपीएस इंटरनेट लीज्ड लाइन कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और वार्षिक आधार पर परिषद की आवश्यकता के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जाएगा।

परिषद प्रतिष्ठित भारतीय फर्मों/एजेंसियों/सरकारी लाइसेंस प्राप्त फर्मों से सीलबंद लिफाफे में सप्रू हाउस में "100 एमबीपीएस (1:1) इंटरनेट लीज्ड लाइन कनेक्टिविटी" की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग के लिए दो-बोली प्रणाली में निविदा कोटेशन आमंत्रित करनी है।

बोलीदाताओं को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करने की सलाह दी जाती है।

चूंकि दो बोली प्रणालियों का पालन किया जाना है, इसलिए निविदा जमा करने के लिए विधिवत सील किए गए तीन लिफाफों का उपयोग नीचे दिए गए विस्तृत रूप में किया जाए:-

- (i) तकनीकी बोली (अनुबंध-1) में विधिवत रूप से भरी जाए और हस्ताक्षर करके लिफाफे में रखी जाए, साथ ही इस नोटिस के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाए और इसे लिफाफे में रखा जाए। लिफाफे को ठीक से सील किया जाए और उसके ऊपर "तकनीकी बोली: 100Mbps (1:1) सप्रू हाउस

में इंटरनेट लीज पर लाइन कनेक्टिविटी लिखा जाए। लिफाफे पर फर्म का नाम और पता लिखा होना चाहिए।

- (ii) **वित्तीय बोली** (अनुबंध II) विधिवत रूप से भरी जाए और हस्ताक्षर करके इसे लिफाफे में रखी जाए। लिफाफे को ठीक से सील किया जाए और उसके ऊपर "वित्तीय बोली: 100 एमबीपीएस (1:1) सप्रू हाउस में इंटरनेट लीज्ड लाइन कनेक्टिविटी" लिखा जाए। लिफाफे पर फर्म का नाम और पता लिखा जाए।
- (iii) **इसमें** नई दिल्ली में देय " विश्व मामलों की भारतीय परिषद" के पक्ष में तैयार दिल्ली के किसी भी अनुसूचित बैंक पर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 50,000 रुपये (केवल पचास हजार रुपये) की बयाना जमा राशि (ईएमडी) रखी जाए है। लिफाफे को ठीक से सील किया जाए और उसके ऊपर "ईएमडी: 100 एमबीपीएस (1:1) सप्रू हाउस में इंटरनेट लीज्ड लाइन कनेक्टिविटी" के रूप में लिखा जाए। लिफाफे पर फर्म का नाम लिखा जाए। केंद्रीय क्रय संगठन, राष्ट्रीय लघु उद्योग सहयोग (एनएसआईसी) में पंजीकृत फर्मों को ईएमडी जमा करने से छूट है। इस आशय के प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न की जाए।
- (iv) **लिफाफा नंबर 4:** ऊपर बताए गए तीनों लिफाफे नंबर 1, 2 और 3 को इस लिफाफे में डाला जाए। लिफाफे को ठीक से सील किया जाए और "100 एमबीपीएस (1:1) सप्रू हाउस में इंटरनेट लीज्ड लाइन कनेक्टिविटी के लिए निविदा/उद्धरण के रूप में सुपर-अंकित किया जाए। लिफाफे पर फर्म का नाम लिखा जाए।

अनुबंध-1 और II के प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षर किए जाए और उन पर मुहर लगाई जाए।

सील बंद निविदा लिफाफा, भारतीय विश्व मामलों की उप महानिदेशक सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड नई दिल्ली-110001 को संबोधित किया जाए और 30.4.2021 को हम तक पहुंचना चाहिए।

निर्धारित समय और तिथि के बाद प्राप्त निविदा/कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा।

#### **निबंधन और शर्तें:**

1. कोटेशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय **30-04-2021** है। आईसीडब्ल्यूए असाधारण परिस्थितियों में और अपने विवेकाधिकार पर उचित सूचना जारी करके कोटेशन/निविदाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि और समय बढ़ा सकती है। इस तरह के बढ़ाई गई तारीख को, यदि कोई हो, आईसीडब्ल्यूए की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा और सभी पर लागू होगी।

2. निविदा/कोटेशन पंजीकृत डाक/कूरियर सेवा या व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है, ताकि अंतिम तिथि और निर्धारित समय से पहले आईसीडब्ल्यूए तक पहुंच सके।
3. पूर्व योग्यता मानदंड: अनिवार्य (मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा)

3.1	बोलीदाता टीयर 1 राष्ट्रीय आईएसपी होना चाहिए और उसके पास भारत सरकार से एक वैध श्रेणी "ए" आईएसपी लाइसेंस होना चाहिए। (लाइसेंस की प्रति संलग्न करें)
3.2	बोली लगाने वाले को पिछले 3 वित्त वर्ष के दौरान 5 करोड़ रुपये के न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार के साथ आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए। कारोबार का प्रमाण लेखापरीक्षित वार्षिक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाए।
3.3	क. कोटेशन में बैंडविड्थ और आपूर्ति किए गए उपकरणों के लिए कुल शुल्कों-आवर्ती (वार्षिक) और गैर-आवर्ती (एक बार) के विभिन्न घटकों को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाए।  ख. फर्म को सभी नियमों और शर्तों के साथ सभी समान वस्तुओं का अनुपालन विवरण देना होगा।
3.4	क. आईएसपी का नई दिल्ली में पूर्ण कार्यात्मक ग्राहक सेवा केंद्र होना चाहिए, जो 365X7X24 घंटे चालू हो। (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)  ख. बोलीदाता यह सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय लूप प्रोविजनिंग ऐसे संपर्कों/नेटवर्कों के संबंध में भारत सरकार/ट्राई द्वारा निर्धारित विनियमों का उल्लंघन न करे। बोलीदाता स्थानीय लूप शुल्क/किराया/डब्ल्यूपीसी शुल्क आदि के प्रति सभी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

ग. आईएसपी नोड और आईसीडब्ल्यूए के बीच पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए अन्य फर्म (यदि आवश्यक हो) के साथ संबंध करने (यदि आवश्यक हो) की जिम्मेदारी फर्म की होगी।

घ. मूल्य बोली पर तभी विचार किया जाएगा जब वह तकनीकी रूप से योग्य हो।

- ड. परिषद के पास बोलीदाता की क्षमता आकलन करने का अधिकार सुरक्षित है और इस संबंध में परिषद का निर्णय अंतिम होगा।
- च. आईएसपी को तकनीकी बोली में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करना चाहिए कि वित्तीय बोली में आवर्ती, गैर-आवर्ती, बैंडविड्थ शुल्क आदि जैसे ऊपर उल्लिखित सभी घटक शामिल हैं।
- छ. उद्धृत फर्मा को बोली के हर पृष्ठ पर पेज नंबर डालना होगा। मुख्य बोली की प्रत्येक मद के सामने संलग्न दस्तावेजों के पेज नंबर का उल्लेख किया जाए।
- ज. प्रत्येक बोली दस्तावेज पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर और मुहर लगाई जाए।
- झ. इंटरनेट कनेक्टिविटी सेवा अनुबंध की अवधि:-इंटरनेट कनेक्टिविटी अनुबंध शुरू में (02) दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

3.5 बोलीदाताओं पर उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करने या वर्णित पूरी जानकारी प्रदान नहीं करने पर विचार नहीं किया जाएगा और इसलिए इसे सरसरी तौर से अस्वीकार कर दिया जाएगा।

4. पहले तकनीकी बोलियां खोली जाएगी और उनका मूल्यांकन किया जाएगा। वित्तीय बोलियां केवल तकनीकी बोलियों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं की खोली जाएंगी।

**5. यदि ईएमडी जब्त कर ली जाएगी:**

5.1 इसकी वैधता अवधि के दौरान बोली रद्द कर दी जाती है।

5.2 बोलीदाता किसी भी समय किसी भी अवांछनीय व्यवहार या कदाचार में स्वयं को लिप्त करता है, जिसमें निविदा प्रस्तुत करने के बाद बोलीदाता का उदाहरण और निविदा वैधता अवधि के दौरान उसके प्रस्ताव से लचीला होना या उसके नियमों और शर्तों को संशोधित करना शामिल होगा।

5.3 बोलीदाता द्वारा प्रस्ताव की वैधता के दौरान कीमतों में एकतरफा वृद्धि करता है,

5.4 सफल बोलीदाता आईसीडब्ल्यूए को उसे दिए गए आदेश की अधिकतम 15 दिनों की अवधि के भीतर अपनी लिखित स्वीकृति से अवगत नहीं कराता है।

- 5.5 बोलीदाता किसी भी कारण से वैधता की विस्तारित अवधि के 120 दिनों के भीतर परिषद के परामर्श और अनुमोदन के बिना अपनी निविदा को वापस लेता है या संशोधित करता है।
- 5.6 सफल बोलीदाता उचित अवधि के भीतर कार्य शुरू करने में विफल रहता है या कार्य/अनुबंध के निष्पादन में उचित प्रगति दिखाने में विफल रहता है।
6. बिना बयाना जमा राशि के प्राप्त निविदा/कोटेशन पर विचार नहीं किया जाएगा। अन्य असफल निविदाकर्ताओं से प्राप्त बयाना जमा राशि को निविदा प्रक्रिया के सफल समापन के बाद और फर्म को संविदा देने के बाद बिना ब्याज के लौटा दिया जाएगा।

#### **अनुबंध के अंतर्गत उत्तरदायित्व:**

7. आईएसपी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा:
- 7.1 वार्षिक किराये के आधार पर बाराखंभा रोड, नई दिल्ली के सप्रू हाउस में 100 एमबीपीएस (1:1) इंटरनेट लीज लाइन कनेक्टिविटी प्रदान करना।
- 7.2 pv4 पूल के 20 सार्वजनिक आईपी पते और ipv6 पूल के 20 सार्वजनिक आईपी पते प्रदान करना।
- 7.3 100 एमबीपीएस पर लाइन को पूरी तरह से क्रियाशील बनाने के लिए लिंक और हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर (मक्स, मॉडेम और राउटर आदि) की स्थापना, कमीशनिंग, कॉन्फिगर करना।
- 7.4 बैंडविड्थ और उपकरणों के लिए रखरखाव सहायता सेवा (सप्ताह में 24 घंटे और 7 दिन)।
- 7.5 आईएसपी अथवा आईएसपी से अधिकृत व्यक्ति को सेवा स्तर समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी ।
- 7.6 *विनिर्देशों से बाहर जाने के मामले में, आईसीडब्ल्यूए को सेवा में घंटों के नुकसान के लिए विस्तारित समय के संबंध में पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, यदि सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं, तो आईसीडब्ल्यूए का एक महीने के भीतर अनुबंध रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।*

#### **8. सेवा स्तर समझौता**

- क. 100 एमबीपीएस (1:1) हर समय लीज लाइन इंटरनेट बैंडविड्थ।

ख. पैकेट हानि: विश्व के किसी भी हिस्से में किसी भी समय 1% से कम (1000 पिंग से अधिक औसत)।

ग. विलंबता: आईसीडब्ल्यू से आईएसपी के टियर 1 पीयरिंग पॉइंट तक 350 से कम एमएस।

घ. नेटवर्क उपलब्धता: प्रति तिमाही 99.5% से अधिक।

ड. आईएसपी द्वारा साप्ताहिक या मासिक आधार पर या परिषद की आवश्यकता के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली निष्पादन, निगरानी/उपयोग की रिपोर्टें।

च. बोलीदाता परिषद के आईटी प्रभाग में उपरोक्त मापदंडों को मापने के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा। उपरोक्त मापदंडों या ग्राफिकल डिस्प्ले की माप/निगरानी की सुविधा बोलीदाता द्वारा प्रदान की जाएगी।

**विनिर्देशों से बाहर जाने के मामले में, आईसीडब्ल्यू को सेवा में घंटों के हानि के लिए विस्तारित समय के संबंध में पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, यदि सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं, तो आईसीडब्ल्यू को तीन महीने के भीतर अनुबंध रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।**

9. किसी भी स्थिति में अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

10. परिषद का निम्नलिखित अधिकार सुरक्षित है:

क. किसी भी कारण से निर्दिष्ट किए बिना किसी भी या सभी निविदा कोटेशन को अस्वीकार करना और सबसे कम (L1) दर को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

ख. निविदा कोटेशन दस्तावेज पर किसी भी खंड/मद/शर्त को बदलना।

**अनुबंध-1**

### **तकनीकी बोली**

**(तकनीकी बोली तैयार की जाएगी और अलग लिफाफे में सील की जाएगी।)**

**परिषद के लिए (02) दो वर्ष की अवधि के लिए 100 एमबीपीएस (1:1) इंटरनेट कनेक्टिविटी लीज्ड लाइन (1:1 असंपीड़ित और फाइबर पर अंतिम मील के साथ असझाया) के लिए तकनीकी विनिर्देश और आवश्यकताएं**

किराये के आधार पर बाराखंभा रोड स्थित सप्रू हाउस में असंभावित, अनशायर लीज्ड लाइन (ओएफसी) (1:1) पर 100 एमबीपीएस इंटरनेट लीज पर लाइन कनेक्टिविटी प्रदान करना। इसमें

दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्ण लिंक की स्थापना, कमीशनिंग, परीक्षण और रखरखाव शामिल है। यह कनेक्टिविटी डेडिकेटेड इंटरनेट सर्विस के जरिए होगी। पूरी तरह से कार्यात्मक पट्टे पर दी गई लाइन की स्थापना के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बोलीदाता द्वारा प्रदान किया जाएगा। बोलीदाता से ली गई न्यूनतम गारंटीकृत बैंडविड्थ 100 एमबीपीएस (1:1) है।

क्रम सं.	इंटरनेट लीज पर लाइन कनेक्शन के लिए तकनीकी विशिष्टता	अनुपालन (हां/नहीं)	विचलन यदि कोई हो
1	बोलीदाता टीयर 1 राष्ट्रीय आईएसपी होना चाहिए और उसके पास भारत सरकार (लाइसेंस की प्रति संलग्न) से वैध श्रेणी "ए" आईएसपी लाइसेंस होना चाहिए।		
2	इंटरनेट कनेक्टिविटी पट्टे पर दी गई लाइन में ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से किसी भी संपीड़न कारक के बिना पूरी तरह से समर्पित (1:1), असाझा और उच्च गुणवत्ता वाले 100 एमबीपीएस सममित बैंडविड्थ होना चाहिए।		
3	आईएसपी/बोलीदाता क 24 घंटे शूटिंग में परेशानी के लिए नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (एनओसी) होनी चाहिए		
4	आवश्यक बैंडविड्थ के लिए आईएसपी गेटवे पर इंटरनेट राउटर पोर्ट और आईपीवी 4 पूल के 20 सार्वजनिक आईपी पते और ipv6 पूल के 20 सार्वजनिक आईपी पते।		
5	सेवा प्रदाताओं के पीओपी से सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली, परिसर से कनेक्टिविटी ऑप्टिकल फाइबर मीडिया के माध्यम से होगी		
6	बोलीदाता द्वारा आपूर्ति किए गए सभी उपकरणों को बाद के चरण में उन्नयन की आवश्यकता होने की स्थिति में उच्च बैंड विड्थ देने में सक्षम होना चाहिए।		
7	खरीदे गए बैंडविड्थ की स्थापना के लिए आवश्यक कोई भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर बोलीदाता द्वारा पट्टे पर दी गई लाइन को पूरी तरह से कार्यात्मक बनाने के लिए		

	प्रदान किया जाएगा		
8	बोलीदाता को तकनीकी बोली के साथ प्रस्तावित कार्यान्वयन आरेख को समझाते हुए तकनीकी साहित्य प्रस्तुत करना होगा।		
9	बोलीदाताओं के पास चौबीसों घंटे (24x7), रखरखाव सहायता सेवा (सप्ताह में 24 घंटे और 7 दिन) शिकायत दर्ज करने के लिए प्रत्यक्ष टोल फ्री नंबर होना चाहिए।		
10	आईसीडब्ल्यू को जिन पीओपी से आईएलएल बैंडविड्थ प्रदान की जाती है, उन सभी पीओपी में उपकरणों, लिंक, बिजली, बैकहॉल कनेक्टिविटी आदि की अतिरेक होनी चाहिए। सर्विस प्रोवाइडर को लिखित में इसकी पुष्टि करनी होगी।		
11	आईआईएल लिंक्स को पूर्ण डुप्लेक्स मोड में उपलब्ध होना चाहिए जिसे परिषद के इंजीनियरों को प्रदर्शित किया जाना चाहिए।		
12	सेवा प्रदाता के पास 24x7 समर्थन के साथ स्वतंत्र नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर होना चाहिए ताकि आईआईएल लिंक प्रबंधन आवश्यकताओं का ध्यान रखा जा सके। सेवा प्रदाता की शिकायत को लॉग करने के लिए बीएसएनएल/एमटीएनएल लैंडलाइन फोन से पहुंच योग्य टोल फ्री नंबर का विवरण प्रस्तुत करना होगा		
13	सेवा प्रदाता को आईसीडब्ल्यू को सुविधा देनी होगी, एसएलए (सर्विस लेवल एग्रीमेंट) पैरामीटर्स (पैरा 8 के अनुसार) की निगरानी करनी होगी और ऑनलाइन ट्रबल टिकट लॉग इन करना होगा। आईसीडब्ल्यू को सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किए गए किसी भी नेटवर्क निगरानी टूल/वेब ब्राउज़र के माध्यम से आईआईएल लिंक्स के बैंडविड्थ उपयोगिता (एमबीपीएस में, फ्रेम/सेकंड में), त्रुटियों		



	(फ्रेम/सेकंड), डिस्कार्ड (फ्रेम/सेकंड), नॉन अनकास्ट (फ्रेम/सेकंड), बैंडविड्थ उपलब्धता, पैकेट हानि (%में), लिंक की विलंबता आदि पर मानक रिपोर्ट प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए।		
14	सेवा प्रदाता नेटवर्क को दोष सुधार के लिए नई दिल्ली में सेवा केंद्रों/सेवा कर्मियों की उपलब्धता करनी होगी।		
15	<p>परिषद का आईटी प्रभाग संतोषजनक स्वीकृति परीक्षण के अधीन लिंक के सफल प्रावधान पर विचार करेगा। परीक्षा के लिए कार्यप्रणाली परिषद के विवेक पर होगी। हालांकि, इसे बोलीदाता/एसपी के साथ साझा किया जाएगा।</p> <p>निम्नलिखित परीक्षण अपनाए जा सकते हैं :</p> <p>क. औसत विलंबता आईएसपी 1 टीयर 1 पीयरिंग पॉइंट तक 250 एमएस से अधिक नहीं होनी चाहिए।</p> <p>ख. घरेलू विलंबता पीक यातायात घंटे के दौरान &lt;80 मिलीसेकंड</p> <p>ग. अंतर्राष्ट्रीय विलंबता पीक यातायात घंटे के दौरान &lt;250 मिलीसेकंड</p> <p>घ. पैकेट हानि &lt; 0.5% ऊपर के मापदंडों के परीक्षण की सुविधाएं बोलीदाता/आईएसपी द्वारा प्रदान की जाएंगी</p>		

दिनांक ..... को.....दिन.....माह.....2021

(सील के साथ हस्ताक्षर)

नाम:

पदनाम

**टिप्पणी:** परिषद का किसी भी प्रकार की एजेंसियों की निविदा/बोलियों को बिना किसी कारण बताए उनके पूर्ण विवेक पर स्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। अधूरी जानकारी या उचित मुहर और हस्ताक्षर के बिना प्रमाणित परिवर्तन के साथ प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

केवल सरकारी प्रयोजन के लिए

तकनीकी बोली स्वीकार/अस्वीकृत

यदि अस्वीकार, तो उसके कारण:-----

(हस्ताक्षर)

**मूल्य बोली प्रारूप**

सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए 100 एमबीपीएस इंटरनेट कनेक्टिविटी लीज्ड लाइन (ओएफसी) (1:1 असंभावित और फाइबर पर अंतिम मील के साथ असाधित) के लिए निविदा दस्तावेज

	लिंक/स्पीड की संख्या	यूनिट दर प्रतिवर्ष	वार्षिक लागत	दो वर्ष की लागत	तीन वर्ष की लागत
1	<b>क. बैंडविड्थ शुल्क</b> एक 100 एमबीपीएस इंटरनेट कनेक्टिविटी लीज्ड लाइन (ओएफसी) (फाइबर पर अंतिम छोर के साथ 1:1 असंपीड़ित और असाझा) सप्रू हाउस, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली				
2	ऊपर 1 पर लागू कर				
3	<b>ख. एक बार स्थापना और विन्यास शुल्क</b>				
4	ऊपर 3 पर लागू कर				
5	<b>ग. वार्षिक किराया (आवर्ती शुल्क)</b>				
6	ऊपर 5 लागू कर				
7	कुल (1+2+3+4+5+6)				
8	<b>घ. कोई अन्य शुल्क (निर्दिष्ट किया जाए) (यदि कोई हो)</b>				
9	समग्र जोड़ (7+8)				
10	शब्दों में समग्र जोड़				

<p>टिप्पणी:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. आदेश सबसे कम दर (10) उद्धरित करने वाले पक्षकार को दिया जाएगा।</li><li>2. कुल मूल्य के विरुद्ध इकाई दर के भ्रम के मामले में, मूल्यांकन के लिए इकाई दर प्रबल होगी।</li><li>3. किसी भी मद की उद्धृत दर/कुल मूल्य में शब्द और आंकड़ों में भ्रम की स्थिति में, शब्द में उद्धृत दर/कुल मूल्य प्रबल होगा। इसी प्रकार समग्र मूल्य में शब्द और आंकड़ों में भ्रम के मामले में, शब्दों में उद्धृत मूल्य प्रबल होगा।</li></ol>	
---	--

**बोलीदाता के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर**

**नाम:**

**पदनाम**

**दिनांक**

**सील**